



वेदांता लिमिटेड

सामग्री के उचित प्रकटीकरण के लिए भौतिकता के निर्धारण के लिए नीति
स्टॉक एक्सचेंज के लिए घटनाक्रम/अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी
और अभिलेखीय नीति

सामग्री के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए सामग्री के निर्धारण के लिए नीति स्टॉक एक्सचेंज के लिए ईवेंट/अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी और अभिलेखीय नीति

क. नीति का उद्देश्य

वेदांत लिमिटेड (कंपनी) अपनी आचार संहिता के अनुरूप निम्नलिखित के मामलों का संचालन करने में विश्वास करती है
कंपनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) में है
किसी घटना/सूचना और प्रक्रियाओं की भौतिकता के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देशों का निर्धारित सूत्रीकरण
स्टॉक के लिए सामग्री घटनाओं और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) के उचित प्रकटीकरण के लिए
एक्सचेंज और अभिलेखीय नीति।

कंपनी अब इस नीति के माध्यम से भौतिकता के निर्धारण के लिए मानदंड निर्धारित कर रही है।

गlossary

इस नीति में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ है जो सूचीकरण विनियमों में निहित है, और या
अन्य लागू कानून और उसके तहत संशोधन।

सी. प्रकटीकरण सिद्धांत और की सामग्री के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश घटना(ओं)/सूचना

1. सूचीकरण विनियमों की अनुसूची III के भाग ए के (ए) में निर्दिष्ट घटनाएँ (जैसा कि संलग्न है)
परिशिष्ट I) जैसा कि भौतिकता पर ध्यान दिए बिना प्रकट किया जाएगा।

बी वय

2. सूचीकरण विनियमों की अनुसूची III के भाग ए के (बी) में निर्दिष्ट घटनाएँ (जैसा कि संलग्न है)
परिशिष्ट II) भौतिकता के लिए दिशा-निर्देशों को लागू करने पर प्रकट किया जाएगा।

3. कंपनी की भौतिकता के निर्धारण के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों को लागू करेगी:
घटना(ओं)/उपरोक्त बिंदु 2 द्वारा कवर की गई जानकारी:

ए) विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मामला दर मामला आधार पर निर्धारित की जाने वाली भौतिकता
सूचना/घटना के संबंध में। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष घटना/सूचना है
प्रकृति में सामग्री, कंपनी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगी:

३.१.१ किसी घटना या सूचना की चूक जिसके परिणामस्वरूप होने की संभावना है:

- (ए) सार्वजनिक रूप से पहले से उपलब्ध किसी घटना या जानकारी की निरंतरता या परिवर्तन;
- (बी) महत्वपूर्ण बाजार प्रतिक्रिया यदि उक्त चूक बाद की तारीख में सामने आती है;

३.२ ऐसे मामले में जहां ३.१.१ (ए) और (बी) में निर्दिष्ट मानदंड लागू नहीं हैं, यदि की राय में
कंपनी के निदेशक मंडल या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत केएमपी, घटना /
सूचना सामग्री मानी जाती है।

4. कंपनी तुरंत स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को सभी सूचनाओं के बारे में सूचित करेगी जिसमें एक
कंपनी के प्रदर्शन/संचालन पर असर या मूल्य संवेदनशील है या अन्य बातों के साथ-साथ प्रभावित करेगा
गैर-परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के ब्याज या लाभांश का भुगतान या गैर-परिवर्तनीय का मोचन
लिस्टिंग की अनुसूची III के भाग बी में निर्दिष्ट के अनुसार ऋण प्रतिभूतियां या प्रतिदेय वरीयता शेयर
विनियम (**परिशिष्ट III** के रूप में संलग्न)।

5. कंपनी सामग्री सहायक कंपनियों के संबंध में सभी घटनाओं या सूचनाओं का भी खुलासा करेगी।

6. कंपनी विदेशों में जो भी खुलासा किया गया है, उसके खुलासे में समानता बनाए रखेगी और उसका पालन करेगी कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज (ओं) और उसी के साथ स्टॉक पर खुलासा किया जाएगा एक्सचेंज (ओं) जहां इकाई भारत में सूचीबद्ध है।
7. कंपनी पर लागू होने वाली सीमा तक लिस्टिंग विनियमों में बाद में कोई भी संशोधन होगा: इस नीति के हिस्से के रूप में शामिल माना जाता है।

घ. सूचना के प्रकटीकरण के लिए समय सीमा

कंपनी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं/सूचनाओं और इस तरह की अन्य फाइलिंग का खुलासा करेगी जैसा कि के तहत आवश्यक है इसके तहत निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सूचीकरण विनियम।

ई. सामग्री के निर्धारण और उनके प्रसार के लिए प्राधिकरण इसके तहत जानकारी

जैसा कि लिस्टिंग विनियमों के विनियम 30 के तहत निर्धारित है, कंपनी के निदेशक मंडल ने किसी घटना की भौतिकता का निर्धारण करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को अधिकृत किया गया है: या जानकारी और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से:

1. **घटना की भौतिकता का निर्धारण** : पूर्णकालिक निदेशक और केएमपी (सीईओ, सीएफओ और सीएस) में प्रमुख समूह संचार और निवेशक संबंध के साथ परामर्श संयुक्त रूप से अधिकृत है (कोई दो) स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से किसी घटना/सूचना की भौतिकता का निर्धारण करना।
2. **शेयर बाजार के खुलासे बनाना (रों)** : कंपनी सचिव / अनुपालन अधिकारी / उप कंपनी कंपनी के सचिव को सूचना के प्रसार और के प्रकटीकरण से निपटने के लिए अधिकृत किया गया है स्टॉक एक्सचेंज को सामग्री घटनाएँ/सूचना।

एफ. अभिलेखीय नीति

जैसा कि लिस्टिंग विनियमों के आर 30(5) के तहत निर्धारित किया गया है, कंपनी अपनी वेबसाइट पर ऐसे सभी का खुलासा करेगी घटनाएँ या जानकारी जो इस विनियमन के तहत स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को प्रकट की जाती हैं, और ऐसे खुलासे कंपनी की वेबसाइट पर न्यूनतम पांच साल की अवधि के लिए और उसके बाद के अनुसार होस्ट किया जाएगा कंपनी सचिव का विवेकाधिकार, जो होस्ट की गई जानकारी को बनाए रखने या उसे त्यागने का निर्णय ले सकता है।

अनुसूची III
भाग ए: घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण: निर्दिष्ट प्रतिभूतियां
[विनियम 30 देखें]

ऐसी घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण जिन्हें सामग्री माना जाता है

निम्नलिखित घटनाएँ/सूचनाएँ होंगी, जिनके घटित होने पर सूचीबद्ध संस्था स्टॉक में प्रकटीकरण करेगी:
विनियम (ओं):

ए. घटनाएँ जिनका खुलासा उप में निर्दिष्ट भौतिकता के लिए दिशानिर्देशों के किसी भी आवेदन के बिना किया जाएगा-
विनियमन (4) विनियमन (30):

1. अधिग्रहण (ओं) (अधिग्रहण के समझौते सहित), व्यवस्था की योजना (समामेलन/विलय/डिमर्जर/पुनर्गठन), या किसी इकाई (इकाई), डिवीजन (एस) या सूचीबद्ध इकाई की सहायक कंपनी या किसी की बिक्री या निपटान अन्य पुनर्गठन।

स्पष्टीकरण- इस उप-पैरा के प्रयोजन के लिए, 'अधिग्रहण' शब्द का अर्थ होगा, -

(i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण प्राप्त करना; या,

(ii) किसी कंपनी में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, शेयरों या वोटिंग अधिकारों को प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए सहमत होना, जैसे कि

(ए) सूचीबद्ध इकाई के पास शेयर या वोटिंग अधिकार पांच प्रतिशत या अधिक शेयरों या वोटिंग के लिए हैं
उक्त कंपनी में अधिकार, या;

(बी) के खंड (ii) के उप-खंड (ए) के तहत किए गए अंतिम प्रकटीकरण से होल्डिंग में बदलाव आया है
इस उप-पैरा और इस तरह के बदलाव की व्याख्या कुल शेयरधारिता या वोटिंग के दो प्रतिशत से अधिक है
उक्त कंपनी में अधिकार।

2. प्रतिभूतियों को जारी करना या जप्त करना, शेयरों का विभाजन या समेकन, प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद, पर कोई प्रतिबंध प्रतिभूतियों की हस्तांतरणीयता या जप्ती सहित मौजूदा प्रतिभूतियों की शर्तों या संरचना में परिवर्तन, जप्त प्रतिभूतियों को फिर से जारी करना, कॉल में परिवर्तन, प्रतिभूतियों का मोचन आदि।

3. रेटिंग में संशोधन

4. निदेशक मंडल की बैठकों के परिणाम:

सूचीबद्ध संस्था, विचार करने के लिए आयोजित बैठक के बंद होने के 30 मिनट के भीतर एक्सचेंज (ओं) को खुलासा करेगी निम्नलिखित:

ए) लाभांश और/या नकद बोनस की सिफारिश या घोषित या किसी लाभांश को पारित करने का निर्णय और तारीख
किस लाभांश का भुगतान/प्रेषण किया जाएगा;

बी) लाभांश को रद्द करने के कारणों सहित;

ग) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर निर्णय;

घ) किए जाने के लिए प्रस्तावित निधि जुटाने के संबंध में निर्णय

ई) पूंजीकरण के माध्यम से बोनस शेयर जारी करके पूंजी में वृद्धि, जिस तारीख को ऐसा बोनस शामिल है
शेयरों को जमा/प्रेषित किया जाएगा;

च) जप्त किए गए शेयरों या प्रतिभूतियों का पुनर्निर्गम, या शेयरों या प्रतिभूतियों का निर्गम भविष्य के निर्गम के लिए आरक्षित रखा गया है या
नए शेयरों या प्रतिभूतियों या किसी अन्य अधिकार, विशेषाधिकार या सदस्यता के लाभ के किसी भी रूप या तरीके से सृजन
प्रति;

छ) कॉल सहित पूंजी के किसी अन्य परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण;

ज) वित्तीय परिणाम;

i) स्टॉक एक्सचेंज (ओं) से सूचीबद्ध इकाई द्वारा स्वैच्छिक रूप से असूचीबद्ध करने का निर्णय।

5. समझौते (अर्थात शेयरधारक समझौता (ओं), संयुक्त उद्यम समझौता (ओं), परिवार निपटान समझौता (ओं) (to जिस हद तक यह सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन और नियंत्रण को प्रभावित करता है), समझौते/संधि(संधि)/अनुबंध

अनुसूची III
भाग ए: घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण: निर्दिष्ट प्रतिभूतियां
[विनियम 30 देखें]

ऐसी घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण जिन्हें सामग्री माना जाता है

मीडिया कंपनियों के साथ) जो बाध्यकारी हैं और व्यापार, संशोधन या संशोधन के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं हैं।
और उसकी समाप्ति।

6. प्रमोटर या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या सूचीबद्ध संस्था द्वारा धोखाधड़ी / चूक या प्रमुख प्रबंधकीय की गिरफ्तारी कार्मिक या प्रमोटर।
7. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों में परिवर्तन (प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय) अधिकारी, कंपनी सचिव आदि), लेखा परीक्षक और अनुपालन अधिकारी।
8. शेयर ट्रांसफर एजेंट की नियुक्ति या बंद करना।
9. कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन।
के साथ वन टाइम सेटलमेंट (OTS)।
11. बीआईएफआर का संदर्भ और किसी पार्टी/लेनदारों द्वारा दायर समापन याचिका।
रधारकों, डिबेंचर धारकों या लेनदारों को भेजे गए नोटिस, कॉल लेटर, संकल्प और परिपत्र जारी करना या उनमें से किसी भी वर्ग या सूचीबद्ध संस्था द्वारा मीडिया में विज्ञापित।
13. सूचीबद्ध इकाई की वार्षिक और असाधारण आम बैठकों की कार्यवाही।
14. संक्षेप में सूचीबद्ध इकाई के ज्ञापन और संघ के लेखों में संशोधन।
ेषक या संस्थागत निवेशक बैठक की अनुसूची और सूचीबद्ध द्वारा किए गए वित्तीय परिणामों पर प्रस्तुतीकरण श्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को इकाई;

अनुसूची III
भाग ए: घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण: निर्दिष्ट प्रतिभूतियां
[विनियम 30 देखें]

घटनाएँ जो दिशानिर्देशों के लागू होने पर प्रकट की जाएँगी माद्दा

निम्नलिखित घटनाएँ/सूचनाएँ होंगी, जिनके घटित होने पर सूचीबद्ध संस्था स्टॉक में प्रकटीकरण करेगी:
विनियम (ओं):

बी घटनाएँ जिनका खुलासा उप-विनियम (4) के भौतिकता के लिए दिशा-निर्देशों के लागू होने पर किया जाएगा विनियमन का (30):

1. वाणिज्यिक उत्पादन या वाणिज्यिक के प्रारंभ होने की तिथि में प्रारंभ या कोई स्थगन किसी भी इकाई/मंडल का संचालन।
 2. कार्यनीतिक, तकनीकी, विनिर्माण, या विपणन गठजोड़, व्यवसाय की नई लाइनों को अपनाना या किसी इकाई / मंडल के संचालन को बंद करना (संपूर्ण या टुकड़ा)।
 3. क्षमता वृद्धि या उत्पाद लॉन्च।
 4. प्रदान करना, प्राप्त करना/प्राप्त करना, संशोधित/प्राप्त आदेश/संविदाओं का संशोधन या समाप्ति सामान्य नहीं है व्यापार का कोर्स।
 5. करार (अर्थात् ऋण समझौता (उधारकर्ता के रूप में) या कोई अन्य समझौता जो बाध्यकारी है और सामान्य नहीं है व्यापार के पाठ्यक्रम) और संशोधन (ओं) या संशोधन (ओं) या समाप्ति (ओं)।
 6. प्राकृतिक आपदा (भूकंप, बाढ़, आग आदि), अप्रत्याशित घटना या हड़ताल, तालाबंदी आदि जैसी घटनाएं।
 7. सूचीबद्ध इकाई पर लागू नियामक ढांचे में बदलाव से उत्पन्न होने वाले प्रभाव
 8. प्रभाव सहित मुकदमे/विवाद/विनियामक कार्रवाई।
 9. सूचीबद्ध इकाई के निदेशकों (प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के अलावा) या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी/चूक आदि।
 10. किसी भी ईएसओपी/ईएसपीएस योजना सहित प्रतिभूतियों को खरीदने के विकल्प।
 11. गारंटी या क्षतिपूर्ति देना या किसी तीसरे पक्ष के लिए जमानतदार बनना।
 12. प्रमुख लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्रदान करना, वापस लेना, आत्मसमर्पण करना, रद्द करना या निलंबन।
- सी. कोई अन्य जानकारी/घटना जैसे। प्रमुख विकास जो व्यवसाय को प्रभावित करने की संभावना है, उदाहरण के लिए नए का उदय प्रौद्योगिकियां, पेटेंट की समाप्ति, लेखा नीति में कोई भी परिवर्तन जो खातों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, आदि और उसका संक्षिप्त विवरण और कोई अन्य जानकारी जो विशेष रूप से सूचीबद्ध इकाई के लिए ज्ञात है जो हो सकती है सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूतियों के धारकों को अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने और इससे बचने के लिए सक्षम करने के लिए आवश्यक होना चाहिए ऐसी प्रतिभूतियों में झूठे बाजार की स्थापना।
- डी. उपरोक्त पैरा (ए), (बी) और (सी) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सूचीबद्ध इकाई निम्नलिखित का खुलासा कर सकती है समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट घटना/सूचना।

अनुसूची III

भाग बी: के प्रदर्शन/संचालन पर असर डालने वाली जानकारी का प्रकटीकरण
सूचीबद्ध इकाई और/या मूल्य संवेदनशील जानकारी: गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां और
गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयर

[विनियम 51(2) देखें]

सूचीबद्ध इकाई उन सभी सूचनाओं के बारे में 'तुरंत' स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को सूचित करेगी जिनका असर होगा
सूचीबद्ध इकाई का प्रदर्शन/संचालन या मूल्य संवेदनशील है या गैर- के ब्याज या लाभांश के भुगतान को प्रभावित करेगा
परिवर्तनीय वरीयता शेयर या गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का मोचन या प्रतिदेय वरीयता शेयर
समेत:

- (१) ब्याज/वरीयता लाभांश या मोचन या चुकौती राशि या दोनों के समय पर भुगतान में अपेक्षित चूक
गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों के संबंध में और इसमें भी चूक
जैसे ही यह स्पष्ट हो जाता है, डिबेंचर के लिए सुरक्षा का सृजन;
- (२) सूचीबद्ध इकाई को गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से रोकने वाला कोई भी कुर्की या निषेधात्मक आदेश
या पंजीकृत धारकों के खाते से गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों के साथ-साथ
इस प्रकार प्रभावित प्रतिभूतियों की संख्या, पंजीकृत धारकों के नाम और उनके डीमैट खाते का विवरण
विवरण;
- (३) कोई भी कार्रवाई जिसके परिणामस्वरूप मोचन, रूपांतरण, रद्दीकरण, सेवानिवृत्ति पूरी तरह से या किसी भी गैर-
परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां या कमी, मोचन, रद्दीकरण, सेवानिवृत्ति पूरी तरह से या किसी भी गैर के हिस्से में
परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयर;
- (४) कोई भी कार्रवाई जो गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान या लाभांश के भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी
गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों पर जारीकर्ता द्वारा गैर-परिवर्तनीय ऋण पर ब्याज का भुगतान करने में चूक सहित
प्रतिभूतियों या मोचन राशि और संपत्ति पर शुल्क बनाने में विफलता;
- (५) इसकी किसी भी गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय के रूप या प्रकृति में कोई परिवर्तन
वरीयता शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज (ओं) या उसके धारकों के अधिकारों या विशेषाधिकारों में सूचीबद्ध हैं और
यदि स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी आवश्यकता है, तो प्रतिभूतियों को परिवर्तित के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए एक आवेदन करना;
- (६) सामान्य प्रकृति या व्यवसाय / गतिविधियों की प्रकृति में कोई परिवर्तन, प्राकृतिक के कारण संचालन में व्यवधान
आपदा, और वाणिज्यिक उत्पादन / वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत;
- (७) कोई भी घटना जैसे हड़ताल और तालाबंदी। जिसका ब्याज भुगतान/लाभांश भुगतान/मूलधन पर प्रभाव पड़ता है
चुकौती क्षमता;
- (८) डिबेंचर न्यासियों द्वारा देय ब्याज के भुगतान/गैर-भुगतान के संबंध में किए गए किसी पत्र या टिप्पणियों का विवरण
तिथियां, देय तिथियों पर मूलधन का भुगतान/गैर-भुगतान या सुरक्षा, सूचीबद्ध इकाई से संबंधित कोई अन्य मामला
और/या आस्तियों के साथ-साथ उस पर टिप्पणी, यदि कोई हो;
- (९) तीन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज या लाभांश / मूल राशि / मोचन के भुगतान में देरी / चूक
नियत तारीख से महीने;
- (१०) निर्धारित समय अवधि के भीतर परिसंपत्तियों पर प्रभार सृजित करने में विफलता;
- (११) ब्याज या मूल दायित्वों या दोनों के समय पर पुनर्भुगतान में चूक/विलंब का कोई उदाहरण
ऋण प्रतिभूतियों सहित, पुनर्निर्धारण या पुनर्भुगतान कार्यक्रमों के स्थगन के लिए कोई प्रस्ताव
किसी भी निवेशक (निवेशकों)/ऋणदाता (ओं) के साथ सूचीबद्ध इकाई का बकाया/ऋण।

अनुसूची III

भाग बी: के प्रदर्शन/संचालन पर असर डालने वाली जानकारी का प्रकटीकरण
सूचीबद्ध इकाई और/या मूल्य संवेदनशील जानकारी: गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां और
गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयर

[विनियम 51(2) देखें]

स्पष्टीकरण.- इस उप-पैरा के प्रयोजन के लिए, 'डिफॉल्ट' का अर्थ होगा ब्याज या मूलधन का भुगतान न करना
पूर्व-सहमत तिथि पर पूर्ण रूप से और किसी भी ब्याज की सेवा में देरी के पहले उदाहरण पर मान्यता दी जाएगी या
कर्ज पर प्रधान।

(१२) इसके निदेशक मंडल की संरचना में कोई बड़ा परिवर्तन, जो नियंत्रण में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(१३) रेटिंग में कोई संशोधन;

(१४) निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक में निम्नलिखित अनुमोदन:-

(ए) किसी भी ब्याज भुगतान को पारित करने का निर्णय;

(बी) पूंजी की किसी भी वृद्धि का संक्षिप्त विवरण चाहे पूंजीकरण के माध्यम से बोनस प्रतिभूतियों को जारी करके, या द्वारा
डिबेंचर धारकों को दी जाने वाली सही प्रतिभूतियों का तरीका, या किसी अन्य तरीके से;

(१५) गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय से संबंधित सभी जानकारी, रिपोर्ट, नोटिस, कॉल लेटर, परिपत्र, कार्यवाही आदि
अधिमानि शेयर या गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां;

(१६) कोई अन्य परिवर्तन जो गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के धारकों के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करेगा / गैर-
परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयर, कोई अन्य जानकारी जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, को सक्षम करने के लिए आवश्यक है
सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के धारकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और ऐसे सूचीबद्ध में झूठे बाजार के निर्माण से बचने के लिए
प्रतिभूतियों या किसी अन्य जानकारी का सूचीबद्ध इकाई के संचालन / प्रदर्शन के साथ-साथ कीमत पर असर पड़ता है